श्री सभापतिः श्री गुलाम नबी आज़ाद जी, रूलिंग देने के बाद फिर चर्चा नहीं होगी। ...(व्यवधान)... Please, you are the Leader of the Opposition. You are well aware of the rules. You raised a relevant point. It is important. The country is also taking note of the same, what is happening and all that. It is the duty of the Government to explain it to the House. The Home Minister told me that he is going to explain it; and he says, now itself he is going to explain it. Let us first hear him and let the Bills also be moved, and then we will discuss it. ...(Interruptions)... आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... Shri Amit Shah, hon. Home Minister. ...(Interruptions)... Nothing else will go on record other than what the Home Minister says. Other than the Home Minister, nothing else will go on record. ...(Interruptions)... प्लीज़, श्री तिरुची शिवा जी, आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... Mr. Rangarajan, please sit down. ...(Interruptions)...

श्री अमित शाह: सभापित महोदय, में आज बिजनेस की रिवाइज़ लिस्ट है, उसके अंदर आपने मुझे व्यवस्था दी है कि मैं दो संकल्प और एक बिल, प्रिंटिड बिजनेस के अलावा प्रस्तुत करूं। मैं चारों चीज़ें एक-साथ प्रस्तुत करूंगा। इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे और उसके बाद मैं जवाब भी दूंगा। उन चारों चीज़ों पर एक के बाद एक करके डिविजन करना चाहते हैं, तो डिविजन भी कर सकते हैं। मगर मुझे भरोसा है कि चारों चीज़ों पर एक सहमित हो जाएगी, तो हम इस पर चर्चा करके वोटिंग करेंगे।

सभापित महोदय, श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब जी ने कहा कि कश्मीर की आज की जो स्थिति है, उस पर चर्चा करनी चाहिए। मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि ये दो संकल्प और दो बिल जो लेकर आए हैं, वे कश्मीर इश्यू पर ही हैं। उस पर आप अपना विचार रख सकते हैं। इस वक्त आप कश्मीर की आज की स्थिति पर भी रखिए। उस पर भी मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। अब मैं एक के बाद एक संकल्प और बिल प्रस्तुत करता हूं। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: I have permitted him. ...(Interruptions)... I have permitted the Home Minister. ...(Interruptions)... Please. ...(Interruptions)... In my own wisdom, I have permitted. It is very important. It is a serious issue. ...(Interruptions)... It will come. It will come to you. ...(Interruptions)... One after another, it will come to you. ...(Interruptions)... Please. ...(Interruptions)...

STATUTORY RESOLUTIONS*

Cessation of all Clauses of Article 370 except Clause (1)

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

^{*}Discussed together with Government Bills.

"कि यह सदन अनुच्छेद 370 (3) के अंतर्गत, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित सार्वजनिक अधिसूचना की सिफारिश करता है:

संविधान के अनुच्छेद 370 (3) के अंतर्गत घोषणा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) के साथ पिठत, अनुच्छेद 370 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपित संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि (*दिनांक*) से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं रहेंगे, सिवाय खंड (1) जो निम्नानुसार होगा:-

"इस संविधान के अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 308 अथवा किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर के संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा किसी विधि, दस्तावेज, न्याय निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, भारत के भू-भाग पर विधि का बल रखने वाले रीति अथवा रिवाज़ अथवा अनुच्छेद 363 के अंतर्गत यथापरिकल्पित अन्य दस्तावेज संधि अथवा करार में, किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, उस संविधान के समय-समय पर यथासंशोधित सभी उपबंध, बिना किसी संशोधन अथवा अपवाद के जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू होंगे।" ...(व्यवधान)...

(*दिनांक*) से तात्पर्य वह दिनांक होगी जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

MR. CHAIRMAN: He is not yielding. ...(Interruptions)... He is not yielding. ...(Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, where is it listed? ...(Interruptions)... Where is it in the List of Business? ...(Interruptions)...

The Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): महोदय, में यह भी संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

"कि भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के परंतुक के अधीन 'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019' को सभा के विचारार्थ इस सभा को संदर्भित किया है क्योंकि 19 दिसम्बर, 2018 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गयी उद्घोषणा के अनुसार जम्मू-कश्मीर राज्य विधान सभा की शक्तियां इस सभा में निहित हैं। यह सभा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 को स्वीकार करने के लिए विचार व्यक्त करने का संकल्प करती है।" ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: I will come to you. ...(Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, point of order. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please go back. ...(Interruptions)... Let me tell you. ...(Interruptions)... Shri Amit Shah to move for leave to introduce the Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment) Bill, 2019. ...(Interruptions)...

GOVERNMENT ON BILLS*

The Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): महोदय, में यह भी प्रस्ताव करता हूँ:

"कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गटन विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

The question was put and the motion was adopted.

श्री अमित शाह: महोदय, में विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

The Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment) Bill, 2019

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ:

"कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।"

The question was put and the motion was adopted.

श्री अमित शाह: महोदय, में विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: The Bill has been introduced. ...(Interruptions)... We are only discussing the Reservation Bill. ...(Introductions)... We are discussing only the Reservation Bill. Please go back to your seats. ...(Interruptions)... We are discussing the Reservation Bill. ...(Interruptions)... We are discussing only the Reservation Bill. ...(Interruptions)... Try to understand. Please. ...(Interruptions)... We are only discussing the Reservation Bill. The Reservation Bill has already been circulated. Please go back to your seats. This is not the way. ...(Interruptions)... I am coming to that. ..(Interruptions)... We would be discussing only the Reservation Bill now. Other Bills would be taken up after they are circulated. ...(Interruptions)... We would take up other

^{*}Discussed together with Government Bills.